

# कार्यालय, जिलाधिकारी खगड़िया

(नजारात शाखा)

विज्ञापन संख्या-02/2017

जिलाधिकारी, कार्यालय, खगड़िया व अन्य कार्यालयों में भाड़े पर वाहन लेने हेतु निम्नलिखित शर्तों पर वाहन मालिकों से मुहरबन्द निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा प्राप्ति की तिथि 20.7.17 को अपराह्न 02 बजे तक है। उसी दिन अपराह्न 04 बजे जिला क्रय समिति के समक्ष निविदा खोली जायेगी, जिसमें निविदादाता अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं। निविदा में ईंधन सहित भाड़ा दर का उल्लेख हो:-

1. भाड़े पर वाहन 12 महिनों के लिए खगड़िया जंक्शन, परसुतु संतोषजनक सेवा पाये जाने पर वार्षिक तौर पर सेवा का विस्तार किया जाना संभव हो सकेगा।
2. भाड़े पर लिये जाने वाले वाहन कर्तविक रख-रखाव एवं उस पर होनेवाले ईंधन, चालक एवं वाहन के रख-रखाव पर व्यय वाहन मालिक द्वारा किया गयेगा।
3. भाड़े पर वाहन देने वाले अलग-अलग वाहन का भाड़े दर अलग-अलग अंकित करना होगा।
4. सभी वाहन अच्छी हालत में होना चाहिए।
5. वाहन मालिक को जमानत राशि के रूप में 10000.00 (दस हजार) रु० का बैंक ड्राफ्ट अथवा नार्जोर रसीद की प्रति संलग्न करना होगा।
6. तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा अलग-अलग बंद लिफाफा में होगा। तकनीकी निविदा में निम्न कागजात यथा : वाहन के प्रकार, व्यवसायिक प्रमाण-पत्र, निबंधन की वैधता, इंश्योरेंस की वैधता, जमानत राशि, रोड परमिट, फिटनेस प्रमाण-पत्र, प्रदूषण प्रमाण-पत्र, चालक का विवरण व लाईसेंस की प्रति संलग्न होगा।
7. वित्तीय निविदा निम्न प्रकार होंगे :-

वाहन का प्रकार	दर प्रति 100 कि०मी०	दर प्रति 300 कि०मी०	अतिरिक्त प्रति कि०मी० दर
बोलेरो (बिना ए०सी०)			
सूमो (बिना ए०सी०)			
स्कोर्पियो (ए०सी०)			
स्मफारी (ए०सी०)			
इनोवा (ए०सी०)			
जायला (ए०सी०)			

8. एकरारनामा के पूर्व गाड़ी के फिटनेस की जांच जिला प्रशासन द्वारा गठित समिति द्वारा की जायेगी। जिस समिति के सदस्य मोटर यान निरीक्षक, खगड़िया रहेंगे।
9. उपर्युक्त शर्तों के अनुरूप मासिक न्यूनतम बीड देने वाले के साथ एकरारनामा किया जायेगा।
10. एकरारनामा के पश्चात् संतोषजनक सेवा नहीं पाये जाने पर बिना किसी सूचना के एकरारनामा रद्द करने का अधिकार जिला प्रशासन का होगा।
11. निविदा खुलते समय वाहन को जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में लाना होगा, ताकि वाहन के फिटनेस की जांच किया जा सके।
12. सभी वाहनों को माह के सभी दिन आवश्यकतानुसार पदोन्नतियों द्वारा उपयोग किया जा सकेगा।
13. चालक के सभी कागजात भी संलग्न करना होगा।
14. इस निविदा को वेबसाइट [www.khagaria.bia.nic.in](http://www.khagaria.bia.nic.in) पर भी देखा जा सकता है।

जिलाधिकारी,  
खगड़िया